राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकःप.6(26)राज–6/2014/पार्ट/48 जयपुर, दिनांकः 23/06/2021

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

विषयः– राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 2(l) में परिभाषित 'Person' की परिभाषा में सम्मिलित 'association of persons' के संबंध में स्पष्टीकरण।

राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 2(l) में 'Person' को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः–

"(l) 'Person' means a human being and shall include a firm, registered society, association of persons, corporate body or any other legal person;"

उक्त परिभाषा में सम्मिलित अभिव्यक्ति 'association of persons' को नियमों में पृथक से परिभाषित नही किया गया है। अतः नियमों में प्रयुक्त उक्त अभिव्यक्ति की परिभाषा के अभाव में यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों के परिपेक्ष्य में उक्त परिभाषा में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'association of persons' से तात्पर्य ऐसे दो या दो से अधिक खातेदारों का समूह (Group of khatedar tenants) से है जो पारस्परिक सहमति के आधार पर निष्पादित पंजीकृत इकरारनामा के माध्यम से अपनी सामूहिक खातेदारी भूमि पर इन नियमों में अनुमत कोई परियोजना को विकसित करने हेतु सहमत होते है। ऐसे खातेदारो का समूह पूर्णतः प्राकृतिक व्यक्तियों या पूर्णतः विधिक व्यक्तियों द्वारा या भागतः प्राकृतिक एवं भागतः विधिक व्यक्तियों द्वारा गठित हो सकता है।

इस प्रकार पारस्परिक पंजीकृत इकारारनामें के आधार पर गठित समूह इन नियमों में अनुमत किसी परियोजना हेतु सामूहिक रूप से ऐसी भूमि के संपरिवर्तन के लिये आवेदन कर सकता है। ऐसे समूह द्वारा संपरिवर्तन हेतु आवेदित भूमि संपरिवर्तन प्रयोजनार्थ एक इकाई के रूप में मानी जायेगी लेकिन ऐसे खातेदारो के समूह के सदस्यों का दायित्व एवं अधिकार उनकी खातेदारी भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में निर्धारित होगा। तदनुसार ही ऐसी भूमियों के संपरिवर्तन उपरांत राजस्व अभिलेखों में अपेक्षित अंकन किया जायेगा।

23.6.21

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई खातेदार उक्तानुसार किसी परियोजना की स्थापना के उददेश्य हेतु गठित समूह में अपनी संपरिवर्तित भूमि के साथ सम्मिलित हो सकता है। ऐसे खातेदारों की संपरिवर्तित भूमि को समूह द्वारा प्रस्तावित परियोजना में सम्मिलित हो जाने पर यह नियमो के समस्त उददेश्य हेतु एक इकाई के रूप में मानी जायेगी एवं समूह के सम्पूर्ण भू क्षेत्र का नवीन नक्शा पास किया जा सकेगा।

23.6.21

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव.........।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
7. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं शासन उप सचिव, राजस्व विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

Sd/-

शासन उप सचिव

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई खातेदार उक्तानुसार किसी परियोजना की स्थापना के उददेश्य हेतु गठित समूह में अपनी संपरिवर्तित भूमि के साथ सम्मिलित हो सकता है। ऐसे खातेदारों की संपरिवर्तित भूमि को समूह द्वारा प्रस्तावित परियोजना में सम्मिलित हो जाने पर यह नियमो के समस्त उददेश्य हेतु एक इकाई के रूप में मानी जायेगी एवं समूह के सम्पूर्ण भू क्षेत्र का नवीन नक्शा पास किया जा सकेगा।

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव.....।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
7. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं शासन उप सचिव, राजस्व विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव